सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पदासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
वाद संख्या– 11/2013

1–श्रीमती चन्द्री बेवा सोनपाल (दौराने दावा फौत) 2–हरीसिह 3–सियाराम 4–जगदीश पुत्रगण सोनपाल 5–मथुरो 6–प्रेमादेवी पुत्रीयांन सोनपाल समसत जातिगण कुशवाह निवासीगण सोलपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार तामील जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती
इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थिति – 1–श्री *गिरीस व्यास एडवोकेट* ..... (वादीगण)

निर्णय

दिनांकः 9-10-2019

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वर्तमान खाता संख्या 312 के खसरा नम्बर 3362, 3363, 1376 स्थित वाके ग्रम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ जिसके वर्तमान खसरा नम्बरान का निर्माण गत खसरा नम्बरान क्रमशः 2271, 2270, 2270 एंव 2267 तथा उक्त आराजी के साविक खसरा नम्बरान के खातेदार काश्तकार महाराजसिह पुत्र गोकुल जाति ठाकुर निवासयी सालेपुर थे जिन्हौने वादी के पूर्व पुरूष स्व0 सोनपाल पुत्रश्री हीरा जाति कुश्वाह निवासी सोलपुर तहसील सैपऊ को हमेश हमेशा सन् 2015 में शिकमी काश्त पर हमेश हमेशा के लिये दे दिया था। तभी से स्व0 सोनपाल विवादित आराजी पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग अपने जीवनपर्यन्त निरन्तर निर्विवाद रूप से करते रहे जिनका दैहान्त स्वभाविक रूप से हो चुका है। उनके दैहान्त के बाद उनके उत्तराधिकारीगण वादीगण हुये जिन्होने उनका समस्त तर्का प्रापत किया जो विवादित आराजी भूमि पर विरासतन काबिज होकर निरन्तर आज तक काश्त करते चले आं रहे है और वर्तमान में भी काबिज काश्त है। विवादित आराजी पर वादीगण और उनके पूर्व पुरूष स्व0 सोनपाल संवत 2015 से काबिज हुये। राजस्व अभिलेख मे उनकी प्रविष्टियां बतौर खातेदार अंकित की गई। जो संवत 2015 से वन्दौवस्त तक संवत 2022 तक निरन्तर चली। वक्त वन्दौवस्त अधिकारियो द्वारा गलत गलत रूप से राजस्व अभिलेख में वादीगण की प्रविष्टियां खातेदारी की रिपीट न की जाकर गैरखातेदारी की पृविष्टियां गलत अंकित कर दी

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

विधिक प्रावधानो के विपरीत है। चूकिं बन्दौवस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टियो को रिपीट करने अधिकार है। विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में बन्दौवस्त अधिकारियो द्वारा बादीगण उनके पूर्व पुरूष की प्रविष्टि बतौरा खातेदारी अंकित न कर गैरखातेदारी अंकित की उसकी कोई सूचना किसी प्रकार से वादीगण एंव उने पूर्व पुरूष स्व0 सोनपाल को नही दी, बल्कि उनके पीठपीछे बैक पर अवैद्य प्रविष्टियां अंकित की गई, जो वादीगण के विरूद्व शून्य व निष्प्रभावी है, जिन्हे चैलेन्ज करने का वादीगण अधिकारी है। वादीगण अपने हल्का पटवारी से विवादित आराजी पर त्रृण प्रापत करने हेतुकिसान कार्ड बनवाने हेतु मिले तो वादीगणो को उक्त गलत प्रविष्टियों की जानकारी हुई एंव वादीगण ने हल्का पटवारी एंव राजस्व अधिकारियो से उक्त गलत प्रविष्टि बतौरा गैरखातेदार को संशोधित किये जाने एंव बतौर खातेदारी की प्रविष्टियां अंकित करने का निवेदन किया तो उन्होने उक्त संशोधन हेतु मना कर दिया और किसी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। वादीगण राजस्व कर्मचारियोके निर्देशानुसार अपने अधिवक्ता श्री गिरीस व्यास एडवोकेट से सम्पर्क किया एंव नोटिस धारा 80 सीपीसी दिनांक 12.11.2012 को प्रचारित कराया, जिसमें विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां बतौर खातेदारी का निवेदन अन्दर 60 दिवस किया गया तथा बाद गुजरने म्याद सक्षम न्यायालयमें कार्यवाही करने का निवेदन किया गया, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा उकत अवधि के अन्दर संशोधन नही किया गया जिससे वादीगण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को विवश होना पड रहा है। वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से मिलने पर उक्त गलत प्रविष्टियो को संशोधित किये जाने के निवेदन पर पटवारी हल्का एंव राजसव अधिकारियो द्वारा मना करने पर एंव अन्दर अवधि नोटिस संशोधन न किये जाने पर वादकारण न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हो चुका है जो निरन्तर है।

अंत में निवेदन किया है कि विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3362, 3363, 3376 स्थित वाके ग्रम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व अभिलेख में अंकित गलत प्रविष्टियो को संशोधित कराया जाकर वादीगण की प्रविष्टियां बतोरा खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्री नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण न्यायालय में बाबजूद तामील उपस्थित नही आये । वादीगण द्वारा अपने दस्तावैजी साक्ष्य में प्रमाणित राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपियां जमावन्दी संवत 2067से 2070 खाता संख्या 312 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, जमावन्दी बन्दौवस्त खाता संख्या 647 प्रदर्श–3, जमावन्दी संवत 2017 से 2020 प्रदर्श–4, जमावन्दी संवत 2013 से 2016 खाता संख्या 180 वाके ग्रम सैपऊ नम्बर 1 प्रदर्श–5, नोटिस अधीन धारा 80 सीपीसी प्रदर्श–6, रजिस्ट्री डाक प्रदर्श–7 व 8 एंव प्राप्ति रसीद प्रदर्श –9 प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

इनने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो गहनता से अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी मुताबिक दस्तावैजात अन्तिम डिक्री करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 3362, 3363, 1376 स्थित वाके ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही स्थान राजस्व अभिलेख वादीगण खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 9-10-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

नोट :- वादिया के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC प्रस्तुत कर आराजी खसरा नं. 1376 के स्थान पर 3376 शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः लिपिकीय त्रुटि मानते हुये आराजी खसरा नं. 1376 के स्थान पर 3376 पढा जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
इजलास –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
वाद संख्या– 11/2013

श्रीमती चन्द्री बेबा सोनपाल (दौराने दावा फौत) 2–हरीसिह 3–सियाराम 4–जगदीश पुत्रगण सोनपाल 5–मथुरो 6–प्रेमादेवी पुत्रीयांन सोनपाल समसत जातिगण कुशवाह निवासीगण धौलपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार तामील जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती
इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री गिरीस व्यास एडवोकेट एंव मिनजानिब मुद्दायलह श्री .... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 3362, 3363, 1376 स्थित वाके ग्रम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ में वादीगण को खातेदार काश्तकार दाखिल किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम अंकित किया जावे।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 9-10-2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

नोट :– आराजी खसरा नं. 1376 के स्थान पर 3376 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ